संशोधित स्मृति-पत्र

1—	संस्था का नाम	:	शान्ती समाज सेवी समिति,
2—	संस्था का पता	:	2/377, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद 209625 (उ0 प्र0)
3—	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारतवर्ष

(1) समाज के पिछड़े हुये और उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना तथा भारतीय जनता के नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रक, सामाजिक एवं बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति का विकास करना। ताकि समाज सभ्य, शिक्षित एवं सभ्यशील हो सके।

(2) संस्था का उद्देश्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम बोर्ड संबंधित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्त शिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग, पेन्टिंग प्रशिक्षण तथा टंकण आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा ब्युटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरुकता पैदा करना अगरबत्ती, मोमबत्ती, पापड़ बनाना आदि के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(3) कार्यक्षेत्र में तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था रेडियो, घड़ी, टी0बी0 ट्रेनिंग सेन्टरों व अन्य प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कर राष्ट्र के कर्णधारों को आत्मनिर्भर व स्वरोजगार बनाने का प्रयत्न करना।

(4) कार्यक्षेत्र में पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीड़ा केन्द्रों एवं निःशुल्क चिकित्सालय आदि की व्यवस्था कर निर्धन व असहाय बच्चों, नागरिकों आदि की मदद करना।

(5) संस्था का उद्देश्य हस्त शिल्पकला के विकास व हस्त शिल्पों के विकास हेतु समय--समय पर भाग और हस्त शिल्पकला प्रदर्शनी का आयोजन करना व उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर हस्त शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना।

(6) पर्यावरण सन्तुलित बनाये रखने हेतु वृक्षारोपण करना व प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के उपायों को सुझाना व उनका प्रचार प्रसार करना तथा अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत संयंत्रों जैसे गोबर गैस, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, धुआ रहित ग्रामोद्योगों की स्थापना करना।

मन्जुला शर्मा
Minakshi Sharma
S. N. Sharma
Anjana Gaur

उप निबन्धक कार्यालय सोसाइटीज उत्तर प्रदेश, कानपुर

क्रमशः............2

सत्य-प्रतिलिपि
उप निबन्धक
5/2/09

(7) कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निर्धन, अनुसूचित जातियों, विकलांगों, विधवाओं एवं निराश्रित को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रोजगारपूरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाना तथा निराश्रित महिलाओं के पुर्नवास केन्द्रों, आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों, निराश्रित बालक एवं बालिकाओं के लिये निराश्रित आवासीय विद्यालयों आदि की स्थापना करना और विकलांग व्यक्तियों के लिये पुर्नवासित केन्द्र विकलांग विद्यालयों की स्थापना करना तथा कृत्रिम अंगों एवं सहायक उपकरणों के वितरण की व्यवस्था करना। मानसिक मॉन्दितों के कल्याण तथा किशोर किशोरियों के विकास एवं अधिकारिता हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

(8) संस्था का उद्देश्य युवा कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, पर्यावरण विभाग, ग्राम विकास अभिकरण, जल निगम, नगर विकास अभिकरण सूडा सेल, कपार्ट नाबार्ड, यूनीसेफ, सेडासेल महिला एवं बाल विकास विभाग डबाकरा आदि विभागों/अनुभागों द्वारा संचालित सभी प्रकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करना केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रोग्राम जैसे परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम, एड्स, टीकाकरण, शिशुपोषण, साक्षरता, पर्यावरण सुधारने हेतु वृक्षारोपण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी देकर स्वास्थ्य शिविर संचालित कर सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना एवं भारत सरकार की सहायता से फूड प्रोसेसिंग एवं कृषि आधारित ग्रामोद्योगों की स्थापना कर जन कल्याण हेतु खाद्यानों की व्यवस्था करना एवं उनका वितरण करना।

(9) ग्रामीण जनता को परम्परागत कृषि की जगह आधुनिक तकनीकी, कृषि की नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी देना व उनके लिये जागरूकता शिविरों, कृषि प्रदर्शिनी आदि का समय-समय पर आयोजन कर उन्हें उन्नति कृषि मृदा परीक्षण, उन्नति किस्म के कृषि यंत्रों, रसायनों, कीटनाशकों, उन्नति बीज की जानकारी देना।

(10) संस्था का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम बोर्ड आदि के सहयोग से संबंधित विभागों एवं मन्त्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प लगवाना तथा विकास हेतु विद्यालयों की स्थापना, मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई, सुलभ शौचालय बनवाना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने जैसा कार्य क्षेत्र के विकास में सहयोग कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना।

(11) संस्था का उद्देश्य कार्यक्षेत्र में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला प्रदर्शिनी, साक्षरता कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा, नशाबन्दी उन्मूलन कार्यक्रमों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, गोष्ठियों, जागरूकता शिविरों आदि को क्रियान्वित करना व उन्हें संचालित करना, बाल श्रम सेवा को मुक्त करना।

(12) स्वच्छकार विमुक्ति के अन्तर्गत कार्य करना।

क्रमशः...........3

सत्य-प्रतिलिपि

(13) दैवीय आपदा, भूकम्प, बाढ़, सूखा, महामारी आदि के अवसरों पर जनता को राहत पहुँचाना तथा राष्ट्र की सेवा करना।

(14) कार्यक्षेत्र में शैक्षिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु हिन्दी एवं अँग्रेजी एवं उर्दू के माध्यम के विद्यालय खोलना, जिन्हें प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल हाई स्कूल, इण्टर मीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक तक के विद्यालय खोलना एवं उनका संचालन करना।

(15) समय–समय पर आवश्यकतानुसार कन्या विद्यालय खोलना एवं उनका संचालन करना।

(16) मानव अधिकार व कर्त्तव्यों के प्रति जनता को जागरूक बनाने का प्रयास करना।

(17) समाज को कार्यशालाओं, खेलों, सेमिनारों, उपयोगी ज्ञान के सम्बन्धी पम्पलेट, पोस्टर एवं किताबों के माध्यम से शिक्षित करना।

(18) उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/ आयोग एवं कुटीर उद्योग विभागों के समस्त प्रकार के ग्रामोद्योगों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर कुटीर/ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना कराना। भारत सरकार की रुरल बैंकिंग एवं माइक्रो/रुरल फाइनेंन्सिंग योजना के अन्तर्गत, सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों के सहयोग से ग्रामीण, पिछड़े क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से विकसित करने के उद्देश्य से ऋण प्रदान कर, सामूहिक एवं स्वतन्त्र रूप से कुटीर उद्योग स्थापित कराना, बैंकिग गतिविधियों से जोड़ना। प्राप्त आय को ग्रामीणों के व्यावसायिक कौशल वृद्धि, व्यक्तित्व विकास एवं प्रबन्धन में सहयोग तथा संस्था के लोकोपयोगी उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना। भण्डारण केन्द्रों, प्रदर्शनी आदि के आयोजन में हिस्सा लेना।

मन्जुला शर्मा

Minakshi Sharma

Anjana Gaur

अनीता

सत्य-प्रतिलिपि

उप निबन्धक

5/4/07

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के नाम, पद व पता, जिनको संस्था का नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1–	श्रीमती मन्जुला शर्मा	पत्नी श्री कृष्ण कुमार शर्मा	जे0के0 कालोनी, कानपुर	समाज सेवा	अध्यक्ष
2–	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा	पत्नी श्री महेश चन्द्र शर्मा	खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद	समाज सेवा	उपाध्यक्ष
3–	श्री मुरलीधर गौड़	पुत्र श्री श्याम नरायन गौड़	खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद	समाज सेवा	सचिव
4–	कु0 ऊषा शर्मा	पुत्री श्री राम भरोसे शर्मा	खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद	समाज सेवा	प्रबन्धक
5–	श्री सच्चितानन्द	पुत्र श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा	सेनापति कूँचा, फर्रुखाबाद	व्यापार	कार्यकारिणी सदस्य
6–	श्रीमती अंजना गौड़	पत्नी श्री संजीव कुमार गौड़	जे0के0 कालोनी, कानपुर	समाज सेवा	कार्यकारिणी सदस्य
7–	श्रीमती अनीता उपाध्याय	पत्नी श्री मूल चन्द्र उपाध्याय	डबरई कालोनी, फिरोजाबाद	समाज सेवा	कार्यकारिणी सदस्य

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं ।

हस्ताक्षर

1– श्रीमती मन्जुला शर्मा मन्जुला शर्मा

2– श्रीमती मीनाक्षी शर्मा Minakshi Sharma

3– श्री मुरलीधर गौड़

4– कु0 ऊषा शर्मा

5– श्री सच्चितानन्द S. N. Sharma

6– श्रीमती अंजना गौड़ AnJana Gaur

7– श्रीमती अनीता उपाध्याय अनीता

सत्य-प्रतिलिपि

उप निबन्धक

कानपुर

5/4/07

संशोधित

::– नियमावली –::

1– **यह नियमावली :–** शान्ति समाज सेवी समिति, फर्रूखाबाद की है ।

2– **संस्था का नाम :–** शान्ति समाज सेवी समिति, खतराना, फर्रूखाबाद ।

3– **कार्यालय :–** संस्था का कार्यालय शान्ति समाज सेवी समिति, 2/377, खतराना, फर्रूखाबाद होगा ।

4– **कार्यक्षेत्र :–** सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

5– **कार्यक्षेत्र परिभाषा :–**

1– संस्था का तात्पर्य शान्ति समाज सेवी समिति, खतराना, फर्रूखाबाद से है ।

2– प्रबन्धकारिणी समिति का तात्पर्य प्रबन्धकारिणी सभा से होगा ।

6– **सदस्यता सम्बन्धी नियम :–** वे सभी व्यक्ति संस्था के सदस्य हो सकेंगे जो कम से कम 21 वर्ष की उम्र के हो और जो समाज एवं देश सेवा कर विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, अध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा राष्ट्र सेवा में रूचि रखते हो और अपना समय जितना संस्था निर्धारित करें संस्था की सेवा में देने को तैयार हो। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र अध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ की प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें । तथा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा उस पर आवश्यक निर्णय किया जायेगा ।

3– सदस्यता का वर्गीकरण तीन भागों में किया जाता है ।

अ:– **साधारण सदस्य :–** यह समस्त सदस्य जो साधारण सदस्यता हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने को तैयार हो तथा उपरोक्त क्रम संख्या 7 द्वारा निर्धारित नियम के अन्तर्गत आते हो । संस्था के साधारण सदस्य बनाये जा सकेंगे। जिसकी स्वीकृति संस्था के प्रबन्धकारिणी से आवश्यक होगी।

इन्द्र प्रकाश शर्मा
Minakshi Sharma
S. N. Sharma
Anjana Gaur

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, कानपुर

सत्य प्रतिलिपि
19/5/01

क्रमशः...........2.

ब– <u>आजीवन सदस्य</u> :– वह सदस्य जो सदस्यता द्वारा आजीवन सदस्यता शुल्क जमा करने को तैयार हो तथा संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति वांछित धनराशि दान, चन्दा, चल व अचल सम्पत्ति देने को तैयार हो, आजीवन सदस्य बनाये जा सकेंगे ।

स– वह व्यक्ति जिन्हें निबन्धक समितियाँ, उत्तर प्रदेश तथा अन्य ऋणदाता संस्थान प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करें। प्रतिनिधि सदस्य कहलायेंगे। ऐसे सदस्यों को सभी प्रकार की सभाओं में भाग लेने का , सुझाव देने, मार्ग दर्शन का अधिकार होगा, पर ऐसे सदस्यों से किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लगेगा और वह सदस्य मत देने के अधिकारी नहीं होंगे।

इन्दु प्रकाश शर्मा
मन्जुला शर्मा
डॉ० उषा शर्मा
Minakshi Sharma
S.N. Sharma
Anjana Gaur

3– <u>सदस्यता शुल्क</u> :– साधारण सभा हेतु 21/– रूपया तथा आजीवन सदस्यता हेतु 151/–रू0 प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क के रूप में प्रत्येक सदस्य को जमा करना होगा ।

4– <u>सदस्यता से पृथक्कीकरण</u> :– निम्नांकित परिस्थिति में प्रत्येक सदस्यता से प्रथक किया जा सकता है ।

(अ) मृत्यु हो जाने पर, त्याग पत्र देने पर, पागल हो जाने पर अथवा अन्य किसी देश में बस जाने पर ।

(ब) कोई भी ऐसा कार्य जो संस्था के अहित में हो प्रबन्धकारिणी के बहुमत से प्रथक किया जा सकेगा ।

7– <u>संस्था का आर्थिक वर्ष</u> :– 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा ।

8– संस्था की लिखा पढ़ी की समस्त भाषा हिन्दी में होगी ।

9– <u>सभायें</u> :–

अ– <u>साधारण सभा</u> :– संस्था के समस्त प्रकार के सदस्यों का गठन ही साधारण सभा कहलावेगी जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होना आवश्यक होगी। इसकी सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी संस्था द्वारा की

क्रमशः......3

सत्य प्रतिलिपि

सदस्यों व उसके पदाधिकारियों का चुनाव होगा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की सभा का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा । वर्तमान प्रबन्ध कारिणी समिति 5 सदस्यों की होगी जिसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री व एक सदस्य होगा । समयानुसार साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी ।

13:- प्रबन्ध समिति के अधिकार तथा कर्तव्य :-

1-- सभाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम बनाना । व्यवस्था करना तथा उप समितियाँ नियुक्त करना ।

2- संस्था के हित में नियम तथा उप नियम बनाना तथा समयानुसार उसमें संशोधन, संक्रमण एवं परिवर्तन करना ।

3- कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, पृथक करने के आदेश, वृत्ति निर्धारण करना, निर्माण सम्बन्धी नियम बनाना एवं संस्था का पूर्ण प्रबन्ध करना आदि ।

4- संस्था के कार्य संचालन हेतु विभिन्न श्रोतों से ऋण अनुदान, चन्दा, अमानत एवं दान आदि की व्यवस्था करना तथा बट्टे खातें में डाली जाने वाली रकमों का निर्णय करना ।

5-- स्मृति पत्र की धारा 4 में वर्णित सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

6- संस्था के सदस्यों में किसी प्रकार के विवाद को सुलझाना तथा उस पर निर्णय देकर दोषी सदस्य को आर्थिक दण्ड देना तथा गम्भीर अनियमितताओं पर निष्कासित करना ।

7- उन समस्त कार्यों पर निर्णय लेना जो संस्था के हित में हो ।

8- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा और उस पर निर्णय को वापिस लेने या उसको परिवर्तन करने का अधिकार साधारण सभा को होगा ।

इन्दु प्रकाश शर्मा
मन्जुला शर्मा
[illegible]
कृष्ण शर्मा
Minakshi Sharma
S. N. Sharma
Anjana Gaur

क्रमशः 5

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक ... कानपुर

नियुक्ति करना (प्रबन्धकारिणी सभा की राय से) तथा उनके वेतन पारिश्रमिक निर्धारित करना। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित बैंक या डाकघर में खाता खोलना तथा रूपयो का लेंन–देन स्वंय अथवा प्रबनधकारिणी सभा निर्धारित अन्य पदाधिकारियो के संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ करना । संस्था के लिए चल व अचल सम्पत्ति अर्जित करना । कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा वे समस्त कार्य करना जो प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किये जावे ।

इन्दु प्रकाश शर्मा
मन्जुला शर्मा
Minakshi Sharma
S. N. Sharma
Anjana Gaur

(द) प्रबन्धक :– संस्था द्वारा चलाये गये समस्त कार्यक्रमों, उद्योगों को समग्र रूप से व्यवस्थित करना तथा मन्त्री के परामर्श से उन्हें कार्यान्वित करना । समय समय पर मन्त्री व अध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त प्रकार की कार्यवाहियाँ करना ।

15– प्रबन्धकारिणी सभा साधारण सभा के प्रति, अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी के प्रति, मन्त्री, अध्यक्ष एवं प्रबन्धकारिणी के प्रति व प्रबन्धक मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

16– निर्णय :– सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होगे। प्रावधान यह होगा कि नियमों में भी उसके विपरीत कोई व्यवस्था न हो। दोनों ओर मत बराबर होने पर सभापति का मत निर्णायक होगा ।

17– रिक्त स्थानों की पूर्ति :– प्रबन्धकारिणी समिति का यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति प्रबनधकारिणी समिति शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यो में से करेगी ।

18– संस्था के कार्यक्रमों के लेखो जोखों की जाँच करने तथा अधिकार निबन्धक समितियाँ, उत्तर प्रदेश एवं उसके द्वारा नियुक्त कोई भी प्रतिनिधि तथा ऐसी संस्थाओं के नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधियों को होगा ।

19– स्मृति–पत्र नियमावली मे संशोधन:– संस्था की नियमावली में यदि किसी भी प्रकार के संशोधन एवं संवर्द्धन के एक्ट के अधीन रहते हुये किया जा सकेगा जो कि संस्था की विशेष बैठक द्वारा पारित होगा और जिसमें साधारण सभा के समस्त सदस्यों की बैठक के लिये एक माह पूर्व सूचना देनी होगी ।

क्रमशः.....7

सत्य प्रतिलिपि

की प्रगति का सम्पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया जायेगा तथा गत वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा व आगामी वर्ष हेतु कार्यक्रम की रूप रेखा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत की जायेगी जिसका अनुमोदन करेगी।

ब– <u>सभा प्रबन्धकारिणी समिति</u> :– वर्ष में यह सभा कम से कम चार बार होना आवश्यक होगा । इसकी सूचना कम से कम एक बार एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को दी जायेगी । विशेष आकस्मिक स्थिति में 3 दिन अथवा 24 घन्टे पूर्व भी दी जा सकेगी।

10– <u>कोरम</u> :– प्रत्येक प्रकार की सभाओं का कोरम 2/3 होगा । नियमावली के संशोधन सम्बन्धी सभी प्रस्तावों हेतु कम से कम 2/3 सदस्यों का कोरम होना आवश्यक होगा ।

11– <u>साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य</u> :- साधारण सभा सर्वोच्च सभा होगी जिसका निर्णय अन्तिम और साधारण सभा को मुख्यतः निम्न अधिकार होंगे।

अ– प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना व निर्देश देना ।

ब– आजीवन सदस्यता प्रदान करना तथा संस्था का ट्रस्टी मण्डल निश्चित करना ।

स– प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों व संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा उसमें आवश्यक निर्देश व रद्दो बदल करना।

द– आवश्यकतानुसार उन सभी बातों पर निर्णय लेने के जो प्रबन्ध समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो ।

12– <u>प्रबन्धकारिणी समिति</u> :– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति शासनाधिकारिणी समिति होगी। उसके सदस्यों की संख्या कम से कम 5 और अधिक से अधिक 9 होगी। संस्था की साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति के

क्रमशः.........4

सत्य प्रतिलिपि

9– संस्था की कार्यवाहियों एवं कार्यक्रमों की जाँच हेतु उप समिति नियुक्त करना तथा उसे आवश्यक अधिकार देना ।

10– अध्यक्ष अथवा मन्त्री अथवा दोनों के ही कार्यो से असन्तोष होने पर कार्यवाहक अध्यक्ष या मन्त्री तब तक के लिए नियुक्त करना । जब तक पुनः चुनाव न हो जावे ।

14– पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:

संस्था में निम्नांकित पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा द्वारा किया जायेगा तथा उनके निम्नांकित अधिकार व कर्तव्य होंगे ।

॥अ॥ अध्यक्ष :– अध्यक्ष प्रमुख संचालक होगा और प्रबन्धकारिणी के द्वारा लिये गये निर्णयों के अधिकारों पर कार्य करेगा । सभाओं का सभापतित्व करेगा । संस्था में उपस्थित किसी प्रकार के विवाद को मन्त्री के परामर्श से सुलझाना । समय – समय पर प्रबन्ध – कारिणी समिति की बैठक खुद बुलाना तथा मन्त्री को बुलाने का आदेश देना ।

॥ब॥ उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अथवा उसके द्वारा कार्य सौंपे जाने पर उसके अधिकार और कर्तव्य होंगे जो अध्यक्ष के होगें।

॥स॥ मन्त्री :– प्रबन्धकारिणी सभा के निर्णयों एवं कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणित करना । कार्य संचालन हेतु प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार अर्थ व्यवस्था करना तथा संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना व लेन देन सम्बन्धी समस्त कागजात पर हस्ताक्षर करना। आय व्यय का कुल लेखा रखना तथा उसे प्रबन्ध कारिणी सभा की बैठक के समक्ष प्रस्तुत करना। लेखों का परीक्षण कराना। प्रबन्धक के कार्यो की देख रेख करना तथा सुझाव देना । कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु कर्मचारियों की

Minakshi Sharma
S. N Sharma
Anjana Gaur

क्रमशः........6

सत्य प्रतिलिपि